मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.)

## नियमित पाठ्यक्रम

## प्रवेश नियम

## (अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों हेतु)

डी.एल.एड. प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

## डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम (अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों हेतु)

भोपाल दिनांक 29/04/22

क्र./एफ 44–06/2022/20–2 राज्य शासन मध्यप्रदेश के अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालय में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) द्विवर्षीय नियमित पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन प्रवेश नियम एतद् द्वारा जारी करता है–

1. **नामः** इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम (अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालय) होगा।
2. **प्रभावशीलताः** ये नियम आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश में संचालित ऐसे सभी अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों पर प्रभावशील होंगे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से संबद्धता प्राप्त "डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे है।
3. **परिभाषाएंः** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों–

   (क) डी.एल.एड. से तात्पर्य है, "डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।

   (ख) एन.सी.टी.ई. से तात्पर्य है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National council for Teacher Education)।

   (ग) मा.शि.म. से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।

   (घ) महाविद्यालय से तात्पर्य है डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालय।

   (ड़) शैक्षणिक सत्र से अभिप्रेत है दिनांक 01 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की दिनांक 30 जून तक की समयावाधि।

   (च) एम.पी. ऑनलाइन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल जिसके द्वारा इन नियमों के तहत प्रवेश की सेवायें ऑनलाइन प्रदान की जावेगी।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक आर्हता:**

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के मापदण्ड अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल म.प्र. अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकण्डरी (+2) स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

5. **प्रवेश हेतु आयु:**

अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वाले वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो।

6. **प्रवेश हेतु सीट्स की उपलब्धता**

**6.1** प्रदेश में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अशासकीय महाविद्यालयों की सूची एवं उपलब्ध सीट की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (प.क्षे.स.) की वेबसाईट **nctewrc.co.in.,** माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाईट **mpbse.nic.in** एवं एम.पी ऑनलाईन पोर्टल **https://rsk.mponline.gov.in/** पर उपलब्ध है।

**6.2 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश**

अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीट्स पर ऑनलाईन प्रवेश दिए जाएंगे। शेष 50 प्रतिशत सीट्स मैनेजमेंट कोटे की होगी। इस कोटे में भी प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं संस्था चयन ऑनलाईन प्रक्रिया के साथ ही किया जाना होगा। इस प्रकार चयनित छात्रों की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध होगी। इस सूची में से महाविद्यालय आवश्यक संख्या में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेंगे।

**6.3 संकायवार स्थानों (सीट्स) का निर्धारण–**

प्रारम्भिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नानुसार संकायवार स्थान निर्धारित रहेंगे।

| संस्थान में उपलब्ध कुल सीट | गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (40 प्रतिशत ) | कला संकाय (40 प्रतिशत) | शेष संकाय (20 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 20 | 20 | 10 |
| 100 | 40 | 40 | 20 |
| 150 | 60 | 60 | 30 |

4

**टीप**– कॉलम 4 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा अनुसार शेष संकायों यथा वाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, फाईन आर्टस इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट्स निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के लिए निर्धारित सीट्स के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा सीट्स रिक्त रहती है तो अन्य संकाय के अभ्यार्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

**7. आरक्षण**

**7.1** मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा–

(1) अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए — 16 प्रतिशत

(2) अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए — 20 प्रतिशत

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीम लेयर छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये — 27 प्रतिशत

(4) आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के प्रत्याशियों के लिये — 10 प्रतिशत

आरक्षित स्थानों (सीट्स) पर विहित अर्हता रखने वाले संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य श्रेणी के पात्र अभ्यार्थियों से रिक्त स्थान (सीट्स) भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका अनुसार होगी–

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान रिक्त हाने पर | प्रथमतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से |
| | द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यर्थियों से |
| | तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें |
| | चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से |
| अनुसूचित जाति श्रेणी में स्थान रिक्त हाने पर | प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से |
| | द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यार्थियों से |
| | तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें |
| | चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों से |
| अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर | प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से |
| | द्वितीयतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से |
| | तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें |
| | चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों से |

7.2 उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रदान करने के पश्चात् भी यदि महाविद्यालयों में सीट रिक्त रहती है तो प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। मूल निवासी कें सबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले से जारी म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी का आधार कार्ड/राशनकार्ड/समग्र आई.डी/वोटर आई.डी. (माता पिता या स्वयं) में उल्लेखित पता अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र में से किसी एक को जिले के मूल निवासी के दस्तावेज के रूप में मान्य किया जायेगा।

7.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अतिरिक्त अन्य परीक्षा निकायों से कक्षा 12वी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से ग्राहयता प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

**7.4 महिलाओं के लिए आरक्षणः**

इन महाविद्यालयों में भरे जाने वाले कुल सीट्स की 50 प्रतिशत सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। यहां प्रभागवार आरक्षण से आशय प्रत्येक वर्ग अर्थात् अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., EWS तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों में महिला अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी. एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त सीट्स की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर की जाएगी।

**7.4 निःशक्तजन हेतु आरक्षणः**

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत सीट्स में से 6 प्रतिशत सीट्स पर निःशक्तजन को समस्तर (हेरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के आनुसार दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बधिर और कम सुनने वाले तथा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग उपरोक्तानुसार श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक श्रेणी को 1.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरक्षण प्रदान की अधिसूचना क्रमांक एवं 8–01–सत्रह–मोडि–2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर ही निःशक्तजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

**7.5 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षणः**

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–1/99/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 26 जून 1999 के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जारी परिपत्र में स्वीकृत कुल सीट्स में से 10% सीट्स भूतपूर्व सैनकों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (होरिजेन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) होगा अर्थात प्रत्येक वर्ग यथा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) में से 10 प्रतिशत स्थान (सीट्स) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त (सीट्स)की पूर्ति उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से मेरिट आधार पर की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित विहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**7.6 जाति प्रमाण पत्रः**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा। प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण–पत्र देने के लिए अधिकृत है, अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एवं इसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण–पत्र के साथ चालू वर्ष का आय प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

**8. डी.एल.एड. पाठ्यक्रमः**

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा तैयार द्विवर्षीय पुनरीक्षित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम लागू रहेगा। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा योजना, संबंधित नियम एवं विस्तृत निर्देश म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किए जाएंगे। इनमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। यह वेबसाईट– http://mpbse.nic.in/academics. पर उपलब्ध है।

## 9. शुल्क

महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क भी पृथक से जमा करना होगा।

महाविद्यालय में शुल्क जमा करने एवं प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् यदि छात्र प्रवेश निरस्त कराता है एवं जमा किया हुआ शुल्क वापस चाहता है तो महाविद्यालय द्वारा रू. 5,000/- स्वयं के पास रखते हुए शेष राशि संबंधित छात्र को वापस की जाएगी। प्रवेश निरस्त करने हेतु अभ्यर्थी को एम.पी.ऑनलाईन के प्रवेश संबंधी पोर्टल पर स्वयं के लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड से कार्यवाही करनी होगी। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया काउंसलिग के तृतीय चरण तक ही की जावेगी।

## 10. प्रवेश की प्रक्रिया

### 10.1 प्रवेश हेतु विज्ञप्तिः

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठयक्रम प्रवेश संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, एम.पी. ऑनलाइन एवं विभागीय वेबसाइट (एज्यूकेशन पोर्टल) पर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी की जाएगी। प्रवेश संबंधी विभिन्न तिथियों की घोषणा भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की जावेगी।

### 10.2 डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिग की प्रक्रिया

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार की जावेगी कि दिनांक 01 जुलाई से पूर्व अभ्यर्थियों का संस्थानों में प्रवेश का कार्य पूर्ण हो जाए। एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन, एडिटिंग, प्राथमिकता क्रम दर्ज करने हेतु निर्धारित शुल्क कियोस्क सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया जावेगा। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही संस्थानों में सीट आवंटन की जावेगी। त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी की किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विभिन्न चरण निम्नानुसार रहेंगेः

10.2.1 पंजीयन एवं प्राथमिकता निर्धारण:

(i) आवेदक द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु https://rsk.mponline.gov.in/ पोर्टल पर सम्पूर्ण प्रक्रिया की जाना होगी। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण किया जाना होगा। पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किये जाने होगें। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से लॉग–इन आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इन पासवर्ड के आधार पर आवेदक आवश्यकतानुसार प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा।

(ii) आवेदक पंजीयन में प्रदत्त जानकारी में यदि त्रुटि सुधार या परिवर्तन करना चाहता है तो निर्धारित समयावधि में 'एडिट' का अवसर उपलब्ध रहेगा। आवेदक द्वारा इसी निर्धारित अवधि में त्रुटि सुधार किया जाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् त्रुटि सुधार के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(iii) उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से आवेदक को जानकारी उपलब्ध होगी।

(iv) आवेदक को पंजीयन का अवसर एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रत्येक काउंसिलिंग में अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक द्वारा स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम संस्थानों का चयन किया जा सकता है।

(v) शैक्षणिक सत्र 2022–23 से डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया में 05 काउंसिलिंग में प्रवेश की प्रक्रिया की जायेगी। तृतीय काउंसिलिंग में आवश्यकतानुसार कंडिका 7 में वर्णित आरक्षण संबंधी प्रावधान शिथिल करने की कार्यवाही की जायेगी। चतुर्थ एवं पंचम चरण में सी.एल.सी (संस्थान स्तर की ऑनलाईन काउंसिलिंग) की प्रक्रिया संचालित की जावेगी।

10.2.2 सीट आवंटन:

i. अभ्यर्थी को निम्नांकित आधार पर संस्थान में सीट आवंटित की जायेगी–

(अ) शैक्षणिक अर्हता की मेरिट (कक्षा 12वी में प्राप्तांको का प्रतिशत)

(ब) अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दर्ज कराई गई संस्थान की प्राथमिकता

ii. सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। sms एवं पोर्टल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध होगी। अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित होगी।

**10.2.3 महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाः**

i. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु अवधि निर्धारित होगी। इस अवधि में ही अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।

ii. महाविद्यालय, उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर देख सकेंगे। महाविद्यालय, एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉग–इन आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से उन्हें आवंटित छात्रों को प्रवेश प्रदान कर सकेंगे।

iii. उपरोक्त अनुसार सीट आलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र का भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसके उपरांत म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। महाविद्यालय द्वारा संबंधित छात्र की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

10.3 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी।

10.4 तीन काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकतानुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण में सी.एल.सी (महाविद्यालय स्तर की ऑनलाईन काउंसिलिंग) की प्रक्रिया संचालित की जावेगी। इस अवसर पर भी आवेदकों को पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग करनी होगी। च्वाईस फिलिंग के आधार पर महाविद्यालयों को छात्रों की सूची एवं छात्रों को महाविद्यालय की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवेश के लिये निर्धारित अवधि में छात्र को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी।

10.5 यदि महाविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।

ii. सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। sms एवं पोर्टल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध होगी। अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित होगी।

10.2.3 **महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाः**

i. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु अवधि निर्धारित होगी। इस अवधि में ही अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।

ii. महाविद्यालय, उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर देख सकेंगे। महाविद्यालय, एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉग–इन आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से उन्हें आवंटित छात्रों को प्रवेश प्रदान कर सकेंगे।

iii. उपरोक्त अनुसार सीट आलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र का भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसके उपरांत म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। महाविद्यालय द्वारा संबंधित छात्र की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

10.3 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी।

10.4 तीन काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकतानुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण में सी.एल.सी (महाविद्यालय स्तर की ऑनलाईन काउंसिलिंग) की प्रक्रिया संचालित की जावेगी। इस अवसर पर भी आवेदकों को पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग करनी होगी। च्वाईस फिलिंग के आधार पर महाविद्यालयों को छात्रों की सूची एवं छात्रों को महाविद्यालय की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवेश के लिये निर्धारित अवधि में छात्र को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी।

10.5 यदि महाविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

10.6 प्रवेश के समय सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति का सत्यापन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। मूल दस्तावेज छात्र को तत्काल वापस किये जाने होंगे।यदि यह संज्ञान में आया कि, कोई अभ्यर्थी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रवेश उपरांत मूल दस्तावेज छात्र को तत्काल वापस नहीं किये गये तो महाविद्यालय के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

11. महाविद्यालयों द्वारा इन नियमों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संबंधित संस्थानों के विरूद्ध यथोचित जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

12. महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संस्थान में अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों की समस्त जानकारियों सहित सूची, एम.पी. आनलाईन द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी, इस सूची में दर्ज अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र माने जाएंगे।

13. प्रवेश के समय सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति का सत्यापन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। सत्यापन रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही अभ्यार्थी संस्था में प्रवेश हेतु पात्र होगा। सत्यापन उपरांत यदि अभ्यार्थियों के दस्तावेजों में विसंगति पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

**14. महाविद्यालय द्वारा नियमों की अवलहेलना की स्थिति में कार्यवाही:**

महाविद्यालय द्वारा इन नियमों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध यथोचित जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

15. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का प्रारंभः डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष दिनांक 01 जुलाई से प्रारंभ होगा।

16. उक्त नियमों के आधार पर मध्यप्रदेश के ऐसे सभी अशासकीय महाविद्यालय जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एंव माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से सम्बद्धता प्राप्त "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे है, में प्रवेश की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न तिथियां एवं अवधि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/4/2022
उप सचिव
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./एफ 44–06/2022/20–2

भोपाल दिनांक [redacted] 29/4/2

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र/आदिवासी विकास/लोक शिक्षण म.प्र भोपाल।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला–कलेक्टर अधिका (म.प्र.)।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य परिवाहन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्राचार्य शासकीय शिक्षा (समस्त)।
9. संभागीय संर्युक्त संचालक लोक शिक्षण/उपायुक्त अदिवासी विकास (समस्त)।
10. जिला शिक्षा अधिकारी,/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग (समस्त)।
11. प्राचार्य डाइट (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. आई.सी.टी. कक्ष, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर एज्युकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

29/4/2022
उप सचिव
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग